कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

F 14 ( ) 2017/FCA/PCCF/EDSCCF-I Dated 15.2.2019

EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOUCE DEPARMENT Division III, BARAN के द्वारा Ahamdi Minor Irrigation canal and total command area - 726.72 hac.) कार्य हेतु बांरा जिले/वन मंडल बारां की Project (Proposal for diverting of forest land for right main canal & minor of Ahamdi minor irrigation project forest land 5.232 hact. non forest land 10.983 hact. in कुल 5.232 हेक्टयर वन भूमि के अनारक्षण के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/Irrig/23175/2016 दिनांक 19.7.2017 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा प्रस्ताव में पार्ट I, II एवं III प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर टिप्पणी निम्नानुसार है :-

1- प्रस्ताव में यूजर ऐजेन्सी द्वारा मूल वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।
2- प्रस्ताव में संलग्न गैर वन भूमि की KML file में पक्के स्ट्रेक्चर आ रहे है उप वन संरक्षक द्वारा स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र किस प्रकार जारी किया गया है। कारण स्पष्ट किया जाना प्रसतावित है।
3- यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित दस्तावेजों पर पृथक पृथक हस्ताक्षर किये गये है जिनमें नाम भी अंकित नही है। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम अंकित करे।
4- यूजर ऐजेन्सी द्वारा विभिन्न विकल्पों का मानचित्र हार्ड प्रति के साथ संलग्न किया गया है किन्तु उसे ऑनलाईन नही किया गया है इसके अतिरिक्त उसका विश्लेषण एवं KML file भी संलग्न नही की गई है।
5- उप वन संरक्षक बांरा द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 4 में छत्र घनत्व 0 अंकित किया गया है किन्तु प्रसताव में 12 वृक्षो का आना अंकित है अतः छत्र घनत्व में संशोधन किया जाना प्रसतावित है।
6- उप वन संरक्षक बांरा द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में FRL level पर 11 वृक्ष आना अंकित किया गया एवं FRL 2 में कोई वृक्ष नही एवं FRL 4 में 1 वृक्ष अंकित किया गया है जो कि सही नही है इसके अतिरिक्त फील्ड की गणना रिपोर्ट के आधार पर 42 वृक्ष आना अंकित है अतः सही स्थिति भरते हुए एवं कितने वृक्षो का पातन/छंगाई की जावेगी पृथक पृथक सूची दी जानी प्रसतावित है।
7- उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में पार्ट II के बिन्दु संख्या 7 में भूमि क्षरण के प्रति संवेदनशीलता Less अंकित की गई है जिसे उपचारित करने के कोई प्रावधान नही किये गये है।
8- उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में पार्ट II के बिन्दु संख्या 8.1 में कोई वन्यजीव नही होना अंकित किया गया है जबकि प्रस्तावित वन भूमि के नजदीक बांध बना है जिसके कारण वन्यजीवों का आवागमन बना रहता है संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
9- उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में पार्ट II के बिन्दु संख्या 13.1 में 5.232 हे0 गैर वन भूमि की क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना 163580/- प्रति हैक्टेयर की दर से प्रस्तुत की गई है जबकि इसमें मॉडल समिति से अनुमोदित मॉडल दर 164100/- प्रति हैक्टेयर से ली जानी प्रस्तावित है।
10- उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में पार्ट II में संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नही है सभी दसतावेजों में मय दिनांक अंकित किया जाना प्रसतावित है।

11. उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में पार्ट ।। में संलग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन भूमि की वैधानिक स्थिति, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन की स्थिति एवं अभिशंषा अंकित नही की गई है। संशोधित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की जानी प्रसतावित है।
12. प्रसताव में इंडेक्सिंग नही की गई है एवं एक प्रति मूल भिजवायी जानी प्रस्तावित है।

अतः सूचना भिजवाये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक कोटा को निर्देशित किया जाता है।

18/7/2019

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR